



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ब्लॉक पी-2, सेक्टर-ओमेगा-1, ग्रेटर नोएडा

पत्रांक-नियोजन/ 150 /2024

दिनांक- 28.06.2024

सेवा में,

M/s Logix Buildestate Pvt. Ltd.
DGL006, Ground Floor, DLF Galleria,
Mayur Vihar, Phase-I, New Delhi-110091

महोदय,

कृपया अपने ऑनलाई आवेदन दिनांक-06.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें आपके द्वारा भूखण्ड संख्या टी0एस0-1बी, सेक्टर-22डी, यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रस्तुत पुनरीक्षित भू-उपयोग/भू-विन्यास मानचित्रों पर सम्यक विचारोपरान्त स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पुनरीक्षित मानचित्र की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जा रही है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पाँच वर्ष तक वैध है। साथ ही पट्टा प्रलेख की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
2. उ0प्र0 शासन द्वारा Lagacy Stalled Projects पॉलीसी में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
3. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
4. मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल अनुमत्य नहीं होगा। किसी भी फेरबदल के लिये प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
5. किसी भी कारण से यदि आवंटन निरस्त होता है तो मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
6. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
7. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा (यदि आवश्यक हो)।
8. रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान प्राधिकरण तथा सम्बन्धित संस्थान के नियमों के अनुसार कराया जाना होगा।
9. समय-समय पर भू-उपयोग के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निर्देशों एवं प्राधिकरण से दिये जाने वाले निर्देशों का आवंटी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. संस्था द्वारा ग्रीन व ओपन स्पेस तथा पार्किंग नियमानुसार छोड़े जायेंगे।
11. प्राधिकरण के परियोजना विभाग द्वारा निर्देशित व्यवस्था के अनुसार जलापूर्ति व्यवस्था का विकास करना होगा।
12. परियोजना विभाग द्वारा वाह्य ड्रेनेज के लिए जो लेवल संस्था को उपलब्ध कराये जाएंगे उसके अनुरूप ड्रेनेज प्लान को तैयार कर प्राविधान करने होंगे।
13. सालिड वेस्ट डिस्पोजल व मैनेजमेंट आवंटी द्वारा स्वयं किया जाएगा।
14. पर्यावरण विभाग, अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
15. आवंटी को प्राधिकरण/अन्य स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुरक्षण शुल्क/उपयोग व्यय वहन करने होंगे।
16. मास्टर प्लान एवं भवनविनियमावली (यथा संशोधित) में दिये गये नियमों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

९

17. प्रवेश/निकास के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. स्थल पर तालाब/पोखर/झील होने की दशा में उसे नियोजन में समायोजित कर संरक्षित किया जायेगा।
19. शारिरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिये आवश्यक प्राविधान तथा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
20. परियोजना विभाग के द्वारा दिनांक-24.05.2024 को सर्विसेस यथा सीवरेज, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं विद्युत विभाग द्वारा पत्र दिनांक-24.05.2024 के माध्यम से जारी सर्विसेस में उल्लेखित नियम एवं शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
21. संस्था द्वारा ऐसी प्रस्तावित भूमि जिसका अभी संस्था को विधिवत हस्तान्तरण होना शेष है, अथवा वर्तमान तथा भविष्य में कोई विधिक अड़चन आती है तो उस पर कोई भी प्रस्ताव केवल नियोजन हेतु ही प्रतीकात्मक रूप से रहेगा, उस भूमि पर संस्था द्वारा कोई निर्माण नहीं किया जाएगा।
22. आवंटी द्वारा उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण एवं अपाटमेन्ट अधिनियम के सभी नियमों एवं प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
23. भूगर्भ जल विभाग/केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवंटी स्वयं लेंगे।
24. आवंटी एन0जी0टी एवं ई0पी0सी0ए0 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करेंगे।

संलग्नक:- स्वीकृत पुनरीक्षित भू-उपयोग/भू-विन्यास मानचित्र।

भवदीय,

५

20.06.2024

प्रभारी महाप्रबन्धक (नियोजन)

प्रतिलिपि-

1. महाप्रबन्धक (परियोजन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रबन्धक (सम्पत्ति) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी महाप्रबन्धक (नियोजन)